झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

तृतीय (मानसून) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 06 भाद्र, 1937 (श0) को 28 अगस्त, 2015 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा को आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0 स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
202.	स–08	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	अस्पताल को व्यवस्थित एवं सुसज्जित करना	स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0	22.08.15
203.	मद्य–1	श्री अरूप चटर्जी	शराब क्रय पर रसीद देना	उत्पाद एवं मद्य निषेध	22.08.15
204.	रा–12	श्री चमरा लिण्डा	जमीन खरीद बिक्री का क्षेत्र	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.08.15
205.	रा–10	श्रीमती निर्मला देवी	एन.टी.पी.सी. पर कार्रवाई	,,	22.08.15
206.	स–17	श्री नागेन्द्र महतो	कार्यकाल की जांच	स्वा0चि0शि0 एवं प0 कल्याण	22.08.15
207.	रा–01	श्री अशोक कुमार	जमीन को खाली कराना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	18.08.15
208.	रा–13	श्री ताला मराण्डी	परगनैत की बहाली	,, ,,	22.08.15
209.	श्रनि–4	श्री गणेश गंझू	आई.टी.आई. संस्थान खोलना	श्रम नियोजन प्र0 एवं कौशल विकास	22.08.15
210.	रा–05	श्री योगेश्वर महतो	मामले की जांच	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	18.08.15

211.	स–18	डॉ0 अनिल मुर्मू	प्रभारी निदेशक के विरूद्ध कार्रवाई	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.08.15
212.	स–10	श्री अनन्त कु0 ओझा	चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी की प्रतिनियुक्ति	" "	22.08.15
213.	श्रनि–3	श्री अमित कुमार	प्रबन्धन पर कार्रवाई	श्रम नियोजन प्र0 एवं कौशल विकास	18.08.15
214.	स–16	श्री बादल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.08.15
215.	रा–7	श्री गणेश गंझू	नौकरी एवं मुआवजा उपलब्ध कराना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.08.15
216.	स–5	श्री विदेश सिंह	स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.08.15
217.	स–14	श्री निरल पुरती	स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	" "	22.08.15
218.	मद्य–2	श्रीमती सीता सोरेन	शराब की अवैध बिक्री पर रोक	उत्पाद एवं मद्य निषेध	22.08.15
219.	श्रनि–1	श्री जगरनाथ महतो	पढ़ाई का कार्य प्रारम्भ कराना	श्रम नियोजन प्र0 एवं कौशल विकास	18.08.15
220.	स–04	श्री अमित कुमार	स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.08.15
221.	स–15	श्री ताला मराण्डी	मेडिकल कैम्प लगाना	" "	22.08.15
222.	रा–06	श्री दशरथ गागराई	प्रखण्ड व अंचल कार्यालय की व्यवस्था	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	18.08.15
223.	स–09	श्री चम्पाई सोरेन	स्वास्थ्य केन्द्र सुव्यवस्थित कराना	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.08.15
224.	श्रनि–6	श्री ढुलू महतो	नियोजन कार्यालय खोलना	श्रम नियोजन प्र0 एवं कौशल विकास	22.08.15
225.	रा–8	श्रीमती निर्मला देवी	रसीद काटने का निदेश	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.08.15
226.	स–06	श्री विदेश सिंह	स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.08.15
227.	रा–11	श्री नागेन्द्र महतो	अंचलाधिकारी का पदस्थापन	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.08.15
228.	श्रनि–5	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पॉलटेकनिक कॉलेज खोलना	श्रम नियोजन प्र0 एवं कौशल विकास	22.08.15
229.	स–01	श्री जगरनाथ महतो	स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूरा कराना	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	18.08.15
230.	स–12	श्री साधुचरण महतो	अस्पताल स्थापित कराना	" "	22.08.15
231.	स–7	श्री ढुलू महतो	स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ करना	" "	22.08.15

232	रा–3	श्री अशोक कुमार	जमीन का सीमांकन	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	18.08.15
233	स–02	श्रीमती जोबा मांझी	स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	18.08.15
234	रा–09	डॉ0 इरफान अंसारी	कठोर कार्रवाई करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.08.15
235	रा–02	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	अंचलाधिकारी का पदस्थापन	" " "	18.08.15
236	स–13	श्री साधु शरण महतो	भवन निर्माण एवं चिकित्सक का पदस्थापन	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.08.15
237	स–03	श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता	अवनितित भवनों का निर्माण	" "	18.08.15
238	श्रनि–2	श्री प्रदीप यादव	शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ कराना	श्रम नियोजन प्र0 एवं कौशल विकास	18.08.15
239	स–11	श्री राजकुमार यादव	अस्पताल बनाने का विचार	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.08.15
240	रा–04	श्री आलोक कु0 चौरसिया	लीज का नवीकरण	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	18.08.15
241	स–19	श्रीमती गीता कोड़ा	स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराना	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	23.08.15
242	श्रनि–7	श्रीमती गीता कोड़ा	तकनीकी पढ़ाई चालू कराना	श्रम नियोजन प्र0 एवं कौशल विकास	23.08.15

ज्ञापांक–प्रश्न–07 / 2015– 2500 / वि0स0, रांची, दिनांक– 26/8/2015

प्रतिलिपि:– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण / मुख्यमंत्री / अन्य मंत्रिगण / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

26.08.15
(नवीन कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।

ज्ञापांक– प्रश्न–07 / 2015– 2500 / वि0स0, रांची, दिनांक– 26/8/2015

प्रतिलिपि:– अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26.08.15
उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।

उमा /

26.08.15

202

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स0– 08 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत इटकी प्रखण्ड स्थित इटकी आरोग्यशाला इटकी राज्य का एकमात्र यक्ष्मा रोग अस्पताल है, जहाँ मरीजों को रखने का कुल बेड 355 है, किन्तु भवन जर्जर होने के कारण वर्तमान में कुल 154 मरीजों को रखा गया है;		आंशिक स्वीकारात्मक । इस आरोग्यशाला में Inter Ward के सभी तीनों ब्लॉक का मरम्मति कार्य पूर्ण हो गया है । जेनरेटर एवं ट्रॉन्सफार्मर का अधिष्ठापन कर दिया गया है । वस्तुतः आरोग्यशाला में वर्त्तमान में कुल 154 मरीजों को रखा गया है । यदि अधिक मरीज उपलब्ध होते हैं तो उन्हें भी रखने की पर्याप्त व्यवस्था है ।
2. क्या यह बात सही है कि आरोग्यशाला स्थित नया महिला वार्ड में पाँच ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 20 (बीस) बेड है, जिसकी स्थिति भी दयनीय है;		आंशिक स्वीकारात्मक । आरोग्यशाला स्थित नया महिला वार्ड के पाँच ब्लॉक में तीन ब्लॉक सही है । जिनमें मरीजों को रखा जा रहा है ।
3. क्या यह बात सही है कि इटकी आरोग्यशाला में मरीजों के समुचित ईलाज हेतु पैथोलोजिकल जाँच एक्सरे की सुविधा है किन्तु विद्युत आपूर्त्ति बाधित होने के कारण मशीन काम करना बन्द कर देता है और सेम्पल नष्ट हो जाते हैं;		अस्वीकारात्मक । आरोग्यशाला में जेनेरेटर एवं ट्रॉन्सफार्मर अधिष्ठापित है । विद्युत आपूर्त्ति बाधित होने पर जेनरेटर के माध्यम से विद्युत की आपूर्त्ति कर एक्सरे एवं पैथोलोजिकल जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । अभी तक कोई भी सैम्पल नष्ट नहीं हुए हैं ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार इटकी आरोग्यशाला इटकी जो राज्य का एकमात्र यक्ष्मा रोग अस्पताल है उसे व्यवस्थित और सुसज्जित करने का विचार रखती है, कब तक, नहीं तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 84/15– 711(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27·8·15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2422/वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(203)

श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या म–1 का उत्तर

प्रश्नकर्ता– श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची का उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि राज्य भर के सरकारी बन्दोबस्ती किये हुए अंग्रेजी शराब के दुकानों में शराब के क्रय पर ग्राहकों को क्रय का रसीद नहीं दिया जाता है, शराब के बोतलों पर अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य लिया जाता है तथा दुकानों पर जमा मालो संबंधी सूचना सह मूल्य सूची सम्बन्धी सूचना पट भी नहीं दर्शाया जाता है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है । पूर्व में खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा ग्राहकों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड उत्पाद (लेवल निबंधन, नवीकरण एवं मद्य दर निर्धारण) नियमावली, 2014 का गठन किया गया है । जिसके नियम–9 (i), (ii) एवं (iii) के तहत प्रत्येक खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को ग्राहकों को कैशमेमो देना अनिवार्य है जिसपर कैशमेमो पर दुकान का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, दिनांक इत्यादि वर्णित रहें । इसके अतिरिक्त दुकान के अन्दर दृष्टि सुलभ स्थान पर मदिरा के विभिन्न ब्राण्डों का नाम एवं अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य बोल्ड अक्षरों में अंकित किये जाने का प्रावधान भी किया गया है । इस नियमावली के तहत यदि किसी खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों अथवा उनके विक्रेता के द्वारा अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री किये जाने की शिकायत मिलती है तो इस शिकायत को गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए खुदरा उत्पाद दुकानों के निलम्बन/विखण्डन के साथ–साथ झारखण्ड उत्पाद अधिनियम के तहत अनुमान्य दाण्डिक शुल्क अधिरोपित करने का भी प्रावधान है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में कतिपय दुकानों से प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधन से निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :– राँची जिला में दो दुकानें विखण्डित की गई । राज्य के सभी जिलों में लगभग 98 अनियमितता दर्ज की गई है, जिसको संधारित करते हुए कुल 4,52,000/– रू0 संधान शुल्क के रूप में वसूल की गई है । राज्य सरकार अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री की शिकायतों को दूर करने के लिए सतत् प्रयासरत् है और कृत संकल्पित है ।
2– क्या यह बात सही है कि उक्त कारणों से राजस्व की क्षति हो रही है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है ।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त विषय पर समुचित कार्रवाई की विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–4/विधायी–20–10/2015 1862 राँची, दिनांक– 25/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2403 दिनांक–22.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25/8/15
अवर सचिव,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

204

श्री चमरा लिण्डा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–12 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1908 में जब छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, उस समय रॉची जिले में 28 थाने एवं रॉची थाना क्षेत्र में 343 ग्राम थे,		आंशिक स्वीकारात्मक।
2	अगर सही है तो क्या छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति सदस्यों के बीच जमीन का खरीद बिक्री का क्षेत्र 343 ग्राम के अन्दर होना चाहिए नहीं तो क्यों ?		छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(i) की उप कंडिका–(a) में प्रावधानित है कि ऐसा अधिभोगी रैयत जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से, अपनी जोत या अपनी जोत के किसी भाग के अपने अधिकार को विक्रय, विनिमय, दान या बिल द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, अंतरित कर सकेगा जो अनुसूचित जनजातियों का सदस्य हो और जो उसी पुलिस थाने के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर का निवासी हो, जिसके भीतर जोत स्थित हों; **CNT Act, 1908, की धारा–46 (i)(a) में सामान्य रूप से थाना क्षेत्र की बात की गई है ना कि उस वक्त अवस्थित विशिष्ट थाना क्षेत्र के संदर्भ में कही गयी है।**

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–6 / वि0स0 (तारां0)–27 / 15 4127 / रा0 दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2414 / वि0स0, दिनांक–22.0815 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

श्रीमती निर्मला देवी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.08.15 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–10 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे की :–		
1	क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार जब तक 80% जमीन कोई कम्पनी अधिग्रहण नहीं करती है, तब तक कोई कार्य नहीं कर सकती।		वस्तुस्थिति यह है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा 80% भुगतान होने के पश्चात् अधियाची विभाग को दखल कब्जा दे दिया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव श्री राजीव गौवा द्वारा निर्देश हजारीबाग जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को दिया गया है कि गोली चले या लाठी एन0टी0पी0सी0 का काम चालू करायें,		अस्वीकारात्मक।
	या यह बात सही है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा बनाए जा रहे बड़कागाँव में आर0 एण्ड आर0 कॉलोनी का निर्माण घटिया हुआ है, जो जाँच में भी प्रमाणित हो चुका है एवं जो कॉलोनी बना है, वह भी बरसात में चू रहा है।		एन0टी0पी0सी0 द्वारा सूचित किया गया है कि बड़कागाँव में आर0 एण्ड आर0 कॉलोनी का निर्माण कार्य मेसर्स एन0टी0पी0सी0 द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार के बिल्डिंग निर्माण के लिये अग्रणी कम्पनी है, उनके द्वारा गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही Periodic जाँच के लिये बी0आई0टी0 मेसरा में निर्माण सामग्री का नमुना भेजकर जाँच करायी गयी है। जाँच रिपोर्ट अभी तक सही पायी गयी है। निर्माण कार्य गुणवत्ता के आधार पर सही हो रहा है तथा निर्माणाधीन भवन चू नहीं रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8 बी0 / भू0अ0नि0 वि0स0 (तारां0)–188 / 15 790/रा0 दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2412 वि0स0, दिनांक–22.08.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15
सरकार के अवर सचिव

(26)

श्री नागेन्द्र महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा झारखण्ड विधान सभा में दिनांक 28.08.2015 को पूछा जाने वाला ~~तारांकित~~ प्रश्न सं0–17 के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि डॉ0 सिद्धार्थ सन्याल असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर विभाग द्वारा इन्हें गृह जिला गिरिडीह में पदस्थापित किया गया है जो नियम विरूद्ध है ;	अस्वीकारात्मक। डॉ0 सिद्धार्थ सन्याल का गृह जिला मुंगेर, बिहार है।
2.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में वरीय एवं कर्तव्यनिष्ट चिकित्सक रहने के बावजूद डॉ सन्याल को ही विभाग ने खण्ड–(1) में वर्णित पद पर पदस्थापित किया है ;	स्वीकारात्मक। डॉ0 सन्याल से वरीय चिकित्सक गिरिडीह जिला में पदस्थापित हैं। विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा डॉ0 सन्याल को वर्ष 2014 में सिविल सर्जन, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया गया था।
3.	क्या यह सही है कि वर्ष 1988 से योगदान के पश्चात् डॉ0 सन्याल हमेशा गिरिडीह जिला विभिन्न अस्पतालों गृह जिला होने के पश्चात पदस्थापित रहें है।	आंशिक स्वीकारात्मक। डॉ0 सन्याल गिरिडीह के अलावा नवादा, बिहार, बोकारो एवं जामताड़ा में भी पदस्थापित रहें हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डॉ0 सन्याल को तत्काल खण्ड (1) वर्णित पद से पदमुक्त करते हुए इन्हें गृह जिला में पदस्थापित करने वाले दोषी पदाधिकारियों को निलंबित कर इनके सम्पूर्ण कार्यकाल की जांच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपर के खण्डों में स्पष्ट कर दी गयी है। विभाग स्तर पर वरीयता के आधार पर पदस्थापन के बिन्दु पर आगामी स्थापना समिति में विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0 स0–03–66/2015 1064 (3) राँची, दिनांक 27/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2428 दिनांक 22.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रसाद सिंह 27.8.15
सरकार के अवर सचिव

(207)

श्री अशोक कुमार, स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.08.15 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–01 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
–	क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे की :–	
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखंड के मौजा महुआरा के खाता नं0–52, दाग नं0–142 की जमीन सर्वे खतियान में आउट हाउस ऑफ कचहरी (Out House of Kutchari) कहकर दर्ज है।	अस्वीकारात्मक। सर्वे खतियान में प्रश्नगत मौजा के खाता नंबर–52, दाग नंबर–142 का किस्म कामत दर्ज है।
2	क्या यह बात सही है कि रेंट फिक्सेशन–केस नंबर–8/57–58, दिनांक–24.08.1962 को अंचलाधिकारी महागामा के कोर्ट द्वारा उक्त जमीन को सरकारी जमीन घोषित किया गया है, जिस पर अवैध रूप से ग्राम महुआरा निवासी राजीव रंजन भगत, पिता–शिवनाथ भगत उर्फ बुद्धु भगत के द्वारा अवैध कब्जा कर मकान बना लिया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नगत भूमि को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के RMA केस नंबर–133/64–65 द्वारा दिनांक–18.12.1965 को आदेश पारित कर अंचल अधिकारी महागामा के उक्त केस में पारित आदेश को खारिज किया गया है तथा प्रश्नगत दाग नंबर अन्तर्गत रकबा नामांतरण अथवा प्रश्रय प्राप्त अभिलेख के माध्यम से (1) Rent assesment Case No.-8/62–63 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के Mutation Case No.-24/90–91 द्वारा 00–07–00 धुर जमीन छेदी मिर्धा, पिता–मंगरू मिर्धा, (2) प्रश्रय प्राप्त केस नंबर 12/74–75 द्वारा 00–06–10 धूर जमीन जगदीश प्र0 वो प्रदीप प्र0, पिता–जयकिशन लाल, (3) प्रश्रय प्राप्त केस नंबर–08/74–75 द्वारा 00–04 डिसमिल जमीन शिवनाथ भगत, पिता–किशोर भगत, (4) वासगीत अभिलेख संख्या–05/85–86 द्वारा 00–02–00 धूर जमीन कुन्ती देवी, पति–छेदन दर्वे (5) वासगीत अभिलेख संख्या–08/85–86 द्वारा 00–01–06 धूर जमीन प्रमिला देवी, पति–बसंत जयसवाल को प्राप्त है तथा मकान बना हुआ है। राजीव रंजन भगत, शिवनाथ भगत के पुत्र है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कचहरी के जमीन को खाली कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त भूमि को खाली कराया जाना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

कृ०पृ०उ०

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स0मू0 गोड्डा (तारा0)–93/15 4112 /रा0 दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2182 वि0स0, दिनांक–18.08.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2015
सरकार के अवर सचिव

(208)

श्री ताला मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.15 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1	क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान सभा के चारों प्रखण्ड बोआरीजोर, बोरियो, मण्डरो एवं तालझारी के कई सरकारी डाक बंगला में विभाजित है जो अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं,		आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखण्ड बोरियो, मंडरो, तालझारी अन्तर्गत बंगला बॉझी, मंडरो–I, मंडरो–II वृन्दावन, महाराजपुर आदि गैंजर सेटलमेंड 1923–25 अन्तर्गत आने वाले मौजा अधिसूचित है।
	क्या यह बात सही है कि अधिसूचित क्षेत्रों को भारतीय संविधान में 5 वी अनुसूचित के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है,		स्वीकारात्मक।
	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डो में 5वीं अनुसूचित के तहत् एस0पी0 मैनुअल 1911 में दिये गये प्रावधान के अनुरूप ग्राम प्रधानों का संचालन नियंत्रण एवं सहयोग के लिए डाकबंगला स्तरपर परगनैत की बहाली की जाती है, जो वर्त्तमान में बिल्कुल रिक्त पड़ा हुआ है,		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। दामिन–इ–कोह के प्रत्येक बंगला में राजस्व क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासकीय इकाई में परगना या परगनैत की नियुक्ति की जाती है, जो वंशानुगत होती है। कुछ अधिसूचित बंगला को छोड़कर शेष रिक्त है।
	क्या यह बात सही है कि कई वर्षों से परगनैत की बहाली न होने के कारण अनुसूचित जनजाति के ग्राम समाज में अपने को कमजोर ठगा, असहाय महसूस करते आ रहे है,		आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या चारों प्रखण्ड के सरकारी डाक बंगला में जनजातियों के व्यापक हित में परगनैत की बहाली सुनिश्चित करना चाहेंगे, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को नियुक्ति की शक्ति प्रदत्त है। संबंधित उपायुक्तगणों को बंगला परगनैत की नियमानुकूल बहाली करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निदेशित किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–3/अ0क्षे0स्था0 तारांकित–77/15 4134 /रा0 दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2415/वि0स0, दिनांक–22.08.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ /आप्त सचिव, माननीय विभागीय मंत्री एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15
सरकार के उप सचिव

(209) 1236/25-08-15

श्री गणेश गंझु, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-श्र0नि0-04 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री गणेश गंझु, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधानसभा के सिमरिया, टंडवा, इटखोरी, पत्थलगड्डा, लावालौंग, न्यूरहंड एवं गिद्धौर प्रखंड में एक भी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आई0टी0आई0) नहीं है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि टंडवा प्रखंड में एन0टी0पी0सी0 के अलावा मगध एवं आम्रपाली जैसे कोयला खदान खुल रहे है ;	प्रश्न श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि लावालौंग एवं गिद्धौर प्रखंड अति पिछड़ा है जहां के युवक युवतियों को कौशल विकास से जोड़ाने की योजना है ?	लावालौंग एवं गिद्धौर सहित राज्य के सभी प्रखंडों के युवाओं का कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है।
4.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लावालौंग एवं गिद्धौर में एक-एक सरकारी आई0टी0आई0 संस्थान खोलने का विचार रखती है, यदि हॉं तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष-2015-16 में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लावालौंग एवं गिद्धौर प्रखंड में आई0टी0आई0 खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

25/08/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-46/2015- 1236 राँची, दिनांक :- 25-08-15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-2407 दिनांक-22.08.2015 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/08/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(210)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–05 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत अंचल अधिकारी पेटरवार, के कार्यालय के बाहर दिनांक– 15.02.2014 को "कमार करमाली समन्वय उत्थान समिति" के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम "खतियान सत्याग्रह" के माध्यम से भुनेश्वर करमाली एवं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों द्वारा पेटरवार अंचल अन्तर्गत करमाली जनजाति के अधिकांश लोगों के खतियान में जाति का नाम गलती से करमाली के स्थान पर कमार दर्ज करने के मामले की जाँच करने हेतु माँग पत्र अंचल अधिकारी पेटरवार को दिनांक–15.02.2014 को जमा दिया गया है, लेकिन जाँच अब तक नहीं कराया जा सका है,		अंचल अधिकारी, पेटरवार द्वारा सर्वे खतियान–1932 एवं राजस्व अभिलेखों की करायी गयी जाँच पर उपायुक्त, बोकारो द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार रैयतों का गत सर्वे खतियान में जाति "कमार" दर्ज है। बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा कराये गये जाँच में भी गत सर्वे खतियान में "कमार" जाति ही दर्ज है।
2.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड–1 का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त मामले की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। वर्तमान सर्वे में भी वही जाति दर्ज किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–6/वि.स. तार.–22/2015..4128/रा., राँची, दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं.–2217/वि.स., दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, एवं विभागीय प्रशाखा–10(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15

सरकार के उप सचिव

Vidhan Sabha-13(Mano)

श्री डॉ0 अनिल मुरमू, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– स– 18 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्री डॉ0 अनिल मुरमू– क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.क्या यह बात सही है कि प्रभारी निदेशक, रिनपास, काँके, राँची के विरूद्ध खुद की गैर कानूनी ढग से नियुक्ति के साथ–साथ उनके द्वारा विभिन्न पदों पर गैर कानूनी ढग से नियुक्ति तथा वित्तीय अनियममिताएं का कतिपय गंभीर आरोप है ;	स्वीकारात्मक। तत्कालीन प्रभारी निदेशक, रिनपास के विरूद्ध नियुक्ति संबंधी निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड में निगरानी जाँच सी0पी0ई0–1/15 दर्ज है। जिसकी जाँच निगरानी द्वारा की जा रही है। यह भी विदित हो कि विभागीय अधिसूचना सं0–90 (12) दिनांक 21.07.2015 द्वारा डॉ0 अमूल रंजन सिंह को प्रभारी निदेशक, रिनपास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि महालेखाकार, राँची द्वारा भी वर्ष, 2014 में मेन कैश बुक एवं अन्य दस्तावेजों के अभाव में वर्ष, 2008–09 तक का ही अंकेक्षण कार्य सम्पन्न कर तथा चार्टर्ड अकाउंट द्वारा भी पिछले कई वर्षों का आंतरिक अंकेक्षण नहीं कराया गया है ;	वर्ष 2014 तक कैश बुक संधारित था तथा कैश बुक अद्यतन संधारित है। वर्ष 2008–09 तक का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जा चुका है एवं विभागीय पत्रांक–122(12) दिनांक 25.08.15 द्वारा प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची से वर्ष 2008–09 के बाद का अंकेक्षण करने का अनुरोध किया गया है। झारखण्ड सरकार वित्त अंकेक्षण विभाग के द्वारा 2010–11 तक अंकेक्षण कार्य किया जा चुका है। शेष का आंतरिक अंकेक्षण कराया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा गठित जाँच दल ने भी उपरोक्त सभी आरोपों को सही पाया ;	आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा गठित जाँच दल ने कतिपय आरोपों को सत्य पाया है एवं इसकी निगरानी जाँच कराई जा रही है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार प्रभारी निदेशक, रिनपास, काँके, राँची के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–59(12) दिनांक 07.05.15 द्वारा डा0 अमूल रंजन सिंह, तत्कालीन प्रभारी निदेशक, रिनपास, काँके, राँची की नियुक्ति, प्रोन्नति तथा अन्य कर्मियों को प्रोन्नति दिये जाने में अनियमितता के संबंध में निगरानी जांच की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत सरकार द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–12/रिनपास (वि0स0)–05–03/2015 124(12) राँची, दिनांक– 27/08/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2427 दिनांक 22.08.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

27.8.15

सरकार के अवर सचिव।

Nand Kumar, Health Deptt

(212)

श्री अनंत कुमार ओझा, मा0 स0 वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– –10 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज सदर अस्पताल एवं राजमहल अनुमण्डल अस्पताल में वर्षो से यूनिट के आधार पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का पद रिक्त है,	स्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, साहेबगंज में कुल 21 स्वीकृत पद के विरूद्ध 15 चिकित्सक कार्यरत है तथा अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल में कुल 5 चिकित्सक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल, साहेबगंज में चिकित्सा कर्मी के कुल स्वीकृत 31 पद के विरूद्ध कार्यरत नियमित एवं अनुबंध कर्मियों की संख्या 38 है। साथ ही आउटसोर्सिंग से सफाई कार्य हेतु 12 कर्मी कार्यरत है। अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल में चिकित्सा कर्मियों के कुल स्वीकृत 131 पद के विरूद्ध 58 चिकित्सा कर्मी कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला में चिकित्सा एवं चिकित्सा कर्मी के अभाव में स्थानीय आमजन बाहर के राज्य यथा बिहार एवं पश्चिम बंगाल में चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है जिससे उन्हें मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयाँ उठानी पड़ती है ;	अस्वीकारात्मक। उक्त अस्पतालों में पदस्थापित चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज सदर अस्पताल एवं राजमहल अनुमण्डल अस्पताल में यूनिट के आधार पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपर्युक्त खण्डों में स्पष्ट कर दी गयी है। चिकित्सकों के रिक्त पद के विरूद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु अनुशंसित 380 चिकित्सकों में से पदस्थापन कर चिकित्सकों की कमी को यथासंभव दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। अन्य चिकित्सा कर्मियों यथा– परिचारिका श्रेणी "A", फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यथा साध्य इन पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0 स0–03–65/2015   1065 (3)   राँची, दिनांकः 27/8/15

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2424 दिनांक 22.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27.8.15

सरकार के अवर सचिव

213

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–03 का उत्तर :

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–03	**श्री राज पलिवार,** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान सभा क्षेत्र में मुरी स्थित हिण्डालको फैक्ट्री में 3000 ठेका मजदूर कार्यरत हैं, जिनका भविष्य निधि खाता नहीं है;	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, झारखण्ड, राँची से प्राप्त सूचना के अनुसार मुरी स्थित हिण्डालको फैक्ट्री में वर्त्तमान में ठेका श्रमिकों की कुल संख्या–1179 है।
2	क्या यह बात सही है कि ठेका मजदूरों का भविष्य निधि खाता नहीं रहने के कारण P.F. राशि का रकम जमा नहीं किया गया है;	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, झारखण्ड, राँची के अनुसार इस तरह की कोई भी शिकायत/सूचना प्राप्त नहीं है कि मुरी स्थित हिण्डालको फैक्ट्री में 3000 ठेका मजदूर कार्यरत हैं, जिसका भविष्य निधि खाता नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ठेका मजदूरों के लिए भविष्य निधि खाता की व्यवस्था करने के साथ हिण्डालकों प्रबंधन पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा सूचित किया गया है कि मुरी स्थित हिण्डालको फैक्ट्री में कार्यरत ठेका मजदूरों के भविष्य निधि खाता के संबंध में जाँच हेतु दिनांक 28.08.2015 को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, राँची के प्रवर्त्तन पदाधिकारी, श्री राकेश रंजन सहाय तथा श्री ऋतु राज कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्रमा0का0(वि0स0)–01/2015 श्र0नि0 1554 राँची दिनांक 26/8/15

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–प्र0–2221 दिनांक 18.08.2015 के अनुपालन में 200 प्रतियों में/अवर सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, (सरकार पक्ष) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/08/15

(कंचन अंजलि मुण्डू)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री बादल, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स0– 16 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है, कि देवघर जिलान्तर्गत सोनारायठाडी को प्रखण्ड का दर्जा वर्ष 2009 में किया गया है;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि अबतक सोनारायठाडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति नहीं की गई है;		स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है, कि सोनारायठाडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को स्वास्थ्य लाभ की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है;		अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि सोनारायठाडी प्रखण्ड में पूर्व से ही स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है, जिसके माध्यम से स्थानीय जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है ।
यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सोनारायठाडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने पर विचार रखती है, हों, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		सोनारायठाडी प्रखण्ड की आबादी 76116 है । भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार गैर जनजातीय क्षेत्र में 1,20,000 की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनुमान्य है । भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरुप भूमि एवं बजट में राशि की उपलब्धता के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में सोनारायठाढ़ी प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति देने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 89 / 15– 715(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2429 / वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

215

श्री गणेश गंझू, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–07 का प्रश्नोत्तर :–

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>श्री गणेश गंझू, माननीय स.वि.स.</td><td>माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड में एन.टी.पी.सी. द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा रैयतों को नहीं मिला है जिससे टंडवा प्रखण्ड के विभिन्न राजस्व गाँव के रैयत मर्माहत है?</td><td>अस्वीकारात्मक।
एन.टी.पी.सी नार्थ करनपुरा परियोजना हेतु अधिग्रहित 1461.88 एकड़ रैयती भूमि एवं 704 एकड़ गैरमजरूआ भूमि में से 1461.88 एकड़ रैयती भूमि का हस्तानांतरण किया जा चुका है। परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई रैयती भूमि में से 91% भूमि का मुआवजा भुगतान किया जा चुका हे एवं शेष भूमि का मुआवजा भुगतान किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि एन.टी.पी.सी. द्वारा रैयतों के जमीन लेने के बावजूद अभी तक न तो पर्याप्त मुआवजा और न ही नियोजित किया गया है?</td><td>अस्वीकारात्मक।
एन.टी.पी.सी नार्थ करनपुरा के ग्राम विकास सलाहकार समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर 15 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से संबंधित रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है। NTPC के पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत नियोजन के एवज में भू–विस्थापित रैयतों को Annuity (वार्षिकी) निम्न दर से देने का प्रावधान है :–
<table><tr><th>क्र.</th><th>भूमि</th><th>Annuity प्रति वर्ष</th><th>वृद्धि (प्रति दो वर्ष में)</th></tr><tr><td>1</td><td>1 एकड़ से कम</td><td>30000.00</td><td>750.00 रू.</td></tr><tr><td>2</td><td>1 एकड़ से 5 एकड़</td><td>36000.00 प्रति एकड़</td><td>1000.00 रू. प्रति एकड़</td></tr></table>
इसके अतिरिक्त परियोजना कार्य के विभिन्न संविदाओं में भू–विस्थापितों रैयतों को नियमानुसार उनकी क्षमता के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार एन.टी.पी.सी. के विस्थापितों को नौकरी एवं मुआवजा उपलब्ध करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?</td><td>उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–8बी./भू.अ.नि. वि.स.(तारां.)–187/2015 789/रा., राँची, दिनांक–27-8-15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2409/वि.स., दिनांक–22.08.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15
सरकार के अवर सचिव

(216)

श्री विदेश सिंह, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स0– 05 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी प्रखण्ड के लोहरसी में स्वास्थ्य केन्द्र का भवन नहीं रहने के कारण आम ग्रामीण मरीजों को काफी परेशानी उत्पन्न होती है;		अस्वीकारात्मक । पलामू जिला के अन्तर्गत पांकी प्रखण्ड के लोहरसी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन उपलब्ध है, जिसमें मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपरोक्त भवन निर्माण हेतु समुचित राशि उपायुक्त पलामू को दी थी;		आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्ष 2006–07 में लोहरसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की स्वीकृति देते हुए राशि उपायुक्त, पलामू को उपलब्ध कराई गई । उपायुक्त से प्राप्त सूचनानुसार भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका ।
3. क्या यह बात सही है कि समुचित राशि के देने के बाद भी अभी तक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण नहीं हो पाया है;		स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		विभागीय पत्रांक– 84(5) दिनांक 13.07.15 द्वारा उपायुक्त, पलामू से भूमि उपलब्धता की सूचना माँगी गई है । प्राप्त होने के उपरान्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन देने पर विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 82/15– 712(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2419/वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(217)

श्री निरल पुरती, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 14 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है, कि प0 सिंहभूम अन्तर्गत मझगांव प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन एवं क्वार्टर भवन की स्थिति जीर्णशीर्ण एवं काफी खराब हालत में है;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का आधामूत संरचना सुदृढ़ नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्यएँ उपलब्ध होने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;		अस्वीकारात्मक है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंझगॉव में दो चिकित्सक, एक आयुष चिकित्सक, दो स्टॉफ नर्स एवं पारा मेडिकल कर्मी कार्यरत हैं । ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराई जा रही है । गर्भवती महिलाओं का प्रसव भी कराया जाता है ।
3. क्या यह बात सही है, कि उक्त क्षेत्र मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है;		स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु मझगांव प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कराने पर विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		वर्त्तमान स्वास्थ्य केन्द्र भवन के जीर्णोद्धार की स्वीकृति अभियन्त्रण कोषांग से प्रतिवेदन प्राप्त कर चालू वित्तीय वर्ष में दी जाएगी । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण के संबंध में भूमि एवं बजट में राशि की उपलब्धता तथा भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक को ध्यान में रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 88/15– 722(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2417/वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(218)

श्रीमती सीता सोरेन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या म–2 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती सीता सोरेन, माननीया स0वि0स0	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची का उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्दर पड़ने वाले सभी हाटों में अवैध रूप से शराब की बिक्री स्थानीय पुलिस एवं उत्पाद आरक्षी के मिली भगत से की जाती है ।	**उत्तर अस्वीकारात्मक है ।** विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधन एवं मानव बल की कमी के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 3146 अभियोग दर्ज किये गये (जेल–49, अज्ञात–687 एवं फरार–262) एवं 2183 अभियोग को संधानित करते हुए संधान शुल्क के मद में 44,57,000/– रू0 वसूल किये गये है । विभागीय पत्रांक–1769 दिनांक–11.08.2015 द्वारा सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को टास्क फोर्स गठन करने का निर्देश दिया गया है । टास्क फोर्स द्वारा अवैध शराब की बिक्री के विरूद्ध कार्रवाई की जानी है । सरायकेला–खरसावाँ, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, गढ़वा, बोकारो एवं चतरा जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है । शेष अन्य जिलों में टास्क फोर्स के गठन की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है । प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को विभाग के द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से टास्क फोर्स के द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की जा रही है । टास्क फोर्स द्वारा जिला पुलिस बल एवं जिला प्रशासन की मदद से छापामारी कार्य किया जाना है । उक्त कार्रवाई से अवैध मदिरा के विनिर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लग सकेगा । राज्य सरकार अवैध शराब बिक्री की शिकायतों को दूर करने के लिए सतत् प्रयासरत् है और कृत संकल्पित है ।
2– उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इसे रोकने के लिए कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–2/विधायी–20–09/2015 1563 राँची, दिनांक– 25/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2404, दिनांक–22.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25/8/15
अवर सचिव,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

(219) 1231/24-08-15

श्री जगरनाथ महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–01 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री जगरनाथ महतो, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि डुमरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डुमरी प्रखंड में आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त कॉलेज में पढ़ाई का कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	13वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखंड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डुमरी को CSR के अन्तर्गत Reputed Industrial Houses के माध्यम से संचालन के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में नवनर्मित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पी0पी0पी0 मोड में किये जाने के निर्णय के अनुसार संशोधित "इच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से निविदा का प्रकाशन करते हुए प्रतिष्ठित कम्पनी / एन0जी0ओ0 / संस्था को संस्थान के संचालन का कार्य प्रकियाधीन है।

24/08/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–42/2015– 1231 रॉची, दिनांक :–24-08-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या–2222 दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में 200 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/08/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

(220)

श्री अमित कुमार, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 04 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
1. क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राहे प्रखण्ड एवं पतराहातु पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं रहने के कारण जनता को चिकित्सा हेतु काफी कठिनाई होती है;		आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्त्तमान में उक्त पंचायत अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पतराहातु कार्यरत है जिसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी तथा दो ए0एन0एम0 कार्यरत है, जिनके द्वारा उक्त क्षेत्र के लोगों को चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जा रही है । राहे में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है जिसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी दो ए0एन0एम0 कार्यरत है । इसके द्वारा उक्त क्षेत्र के लोगों को चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जा रही है ।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्डों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरुप प्रखण्ड मुख्यालय में गैर जनजातीय क्षेत्र के 1.20 लाख एवं जनजातीय क्षेत्र के 80 हजार की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है । राहे प्रखण्ड की आबादी 53916 है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक की शर्त्त को पूरा नहीं करता है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 81 / 15– 719(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2418 / वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के उप सचिव ।

(221)

श्री ताला मराण्डी, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 28-08-15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –स –15

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ताला मराण्डी मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि जिला साहेबगंज, गोड्डा में आदिम जनजाति के लोग सुदूर पहाड़ों में रहते है, जहाँ आधारभूत संरचनाओं की घोर कमी है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला में छः पहाड़िया स्वास्थ्य केन्द्र और दो आयुर्वेदिक सेन्टर, गोड्डा जिला में दो पहाड़िया स्वास्थ्य केन्द्र और दो आयुर्वेदिक सेन्टर रहते हुए भी इनका समुचित चिकित्सा लाभ इन आदिम जनजातियों को नहीं मिल पाता ;	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज जिला अन्तर्गत 06 पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 02 आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र संचालित है। इस जिले में 01 ही चिकित्सक पदस्थापित है जो पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकीय सेवा प्रदान करते है।
3. क्या यह बात सही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित इन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक जाने से कतराते हैं,	प्रश्नगत चिकित्सा केन्द्रों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी तिथिवार भ्रमण कर आदिम जन जातियों की चिकित्सा एवं उन्हें मुफ्त दवा का वितरण करते हैं।
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को कारगर करते हुए अलग से समय– समय पर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों पर मेडिकल कैम्प लगाने की इच्छा रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सुदूर वर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा समय– समय पर कैम्प लगाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 15 / वि0स0–08- 80 / 15– 344(15) दिनांक–27-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2430, दिनांक– 22-08-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, 27-8-15
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

(222)

श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.15 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–06 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के बड़ाखांकड़ा, नारायणपुर, बांधडीह, टेन्टोपोसी, चमारू, बीरबांस, दुगनी एवं मुड़िया पंचायत के लोगों का प्रखण्ड गम्हारिया एवं अंचल सरायकेला है;		स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अंचल व प्रखण्ड अलग–अलग होने से लोगों को काफी परेशानी होती है;		स्वीकारात्मक। प्रासंगिक स्थल सरायकेला प्रखण्ड के नजदीक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पंचायतों के लिए एक ही जगह प्रखण्ड व अंचल कार्यालय की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		खण्ड–1 में उल्लेखित 08 पंचायतों को जो वर्तमान में गम्हारिया प्रखण्ड के अंतर्गत है, खण्ड–2 के उत्तर सामग्री के अनुसार सरायकेला प्रखण्ड के समीपस्थ है। उक्त के आलोक में इन 08 पंचायतों को गम्हारिया प्रखण्ड से अलग करते हुए सरायकेला प्रखण्ड में सम्मिलित किया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। चूँकि पंचायतों को एक प्रखण्ड से अलग कर दूसरे प्रखण्ड में जोड़ने का कार्य ग्रामीण विकास विभाग से किया जाता है। अतः विभागीय पत्रांक–4094, दिनांक–25.08.15 द्वारा इस संबंध में संबंधित विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संसूचित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–2/रा0 स्था0 (तारां0)–48/15 4119 /रा0 दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2216/वि0स0, दिनांक–18.08.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्तीय मंत्री कोषांग एवं वित्तीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15
सरकार के अवर सचिव

223

श्री चम्पई सोरेन, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 28-08-15 को सदन में पूछा जाने तारांकित प्रश्न सं0 –स– 09

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री चम्पई सोरेन, मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला अन्तर्गत सरायकेला प्रखण्ड के हुदू पंचायत के हुदू गाँव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक । हुदू पंचायत अन्तर्गत हुदू गाँव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इसी पंचायत के तिरिलडीह गाँव में एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र हुदू नाम से अवस्थित है।
2. क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र की देखभाल रख– रखाव सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है ;	अस्वीकारात्मक। खण्ड– 1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों का रख–रखाव ठीक है तथा चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मी, सफाई कर्मी, गार्ड की व्यवस्था की गई।
3. यदि वर्णित खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को सुव्यवस्थित तरीके से करने का विचार रखती हैं, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड– 1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने हेतु आई0 पी0एच0 नार्मस के अनुसार चिकित्सा कर्मियों के पद सृजन संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 15 / वि0स0–08- 77 / 15– 342(15) दिनांक:–27-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2423, दिनांक– 22-08-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के अवर सचिव ।

Tiwari

श्री दुलू महतो माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28.08.15 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 श्र0नि0-06 का उत्तर सामग्री :-

224

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता श्री दुलू महतो, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र के लोगों को सुगमता पुर्वक नियोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालयों में नियोजनालय की स्थापना की गई थी?	उत्तर स्वीकारात्मक है। नियोजनालयों की स्थापना द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्ति के पश्चात् सैनिको के पुनर्वास हेतु की गई थी। पूरे देश हेतु नीति निर्धारित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहमति से जुलाई 1945 में Directorate General of Resettlement and Employment (D.G.R.E.) की स्थापना की गई। 1960 में D.G.R.E. को D.G.E&T (Directorate General of Employment and Training) किया गया। तत्पश्चात् युवाओं को स्थानीय स्तर पर नियोजन सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अविभाजित बिहार के समय से ही जिला स्तर पर जिला नियोजनालय की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही साथ विभिन्न उद्योगों / परियोजनाओं की स्थापना के साथ नियोजनालयों की स्थापना की गई। वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 43 नियोजनालय कार्यरत है (सूची संलग्न)।
2.	क्या यह बात सही है कि नियोजनालय के कार्य शिथिल है और नियोजन हेतु निबंधन के दर में भी भारी कमी आई है?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (Civil Appeal No .- 11646-11724 of 1996) के पश्चात् सरकारी क्षेत्र की स्थापनाओं में नियोजनालय के साथ रिक्ति को समाचार पत्रों/ रोजगार समाचार / Electronic Media इत्यादि में प्रकाशित । प्रचारित कराकर आवेदन प्राप्त कर नियुक्ति की कारवाई की जाती है। फलस्वरूप नियोजनालयों में उम्मीदवारों के निबंधन की बाध्यता नहीं रह गई है। परिणामतः नियोजनालयों में निबंधन में प्रत्यक्ष कमी आई है। यद्यपि रोचक रिक्तियों के समाचार पत्रों के प्रकाशन के फलस्वरूप इसमें उतार चढ़ाव भी होता है। राज्य गठन के पश्चात वर्ष 2000 में 45,506 उम्मीदवारों का निबंधन हुआ एवं 2001 में 2,08,117, 2002 में 90,327, 2003 में 4,18,820, 2004 में 1,83,109, 2005 में 1,51,926, 2006 में 1,56,245, 2007 में 79,853, 2008 में 86,075, 2009 में 1,06,498, 2010 में 3,28,491, 2011 में 1,00,611, 2012 में 70,483, 2013 में 87,634 एवं 2014 में 64,738 रहा। नियोजनालय में प्राप्त होने वाली रिक्ति की कमी को देखते हुए झारखंड राज्य में इस रिक्ति (gap) को भरने हेतु एवं बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 से रोजगार मेला / भर्ती कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में पूरे राज्य में अबतक 100 रोजगार मेला एवं 142 भर्ती कैम्पों का आयोजन किया गया है(सूची संलग्न)। निजी क्षेत्र में नियोजन हेतु नियोजनालय का कार्य पूर्व से काफी [illegible]

3.	क्या यह बात सही है कि नियोजनालय के पुनर्गठन कर प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में इसकी शाखा खोलने एवं निबंधन की अनिवार्यता से स्थानीय लोगों को नियोजन में सुगमता होगी?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। नियोजनालयों का Website www.jharkhandemployment.nic.in कार्यरत है। अब निबंधन हेतु उम्मीदवारों को निबंधन के लिए नियोजनालय में आने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। उम्मीदवार अब नियोजनालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केन्द्र अथवा इंटरनेट कैफे / साईबर कैफे या अन्य किसी भी जगह से जहाँ इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध हो अपना निबंधन करा सकते हैं। केन्द्र सरकार के निदेशानुसार नियोजनालयों को Career Centre में बदलने की कारवाई की जा रही है। National Career Service Portal शीघ्र ही देश भर में प्रारंभ होना है। उक्त परिस्थिति में नियोजनालय के पुनर्गठन कर प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में इसकी शाखा खोलने एवं निबंधन की अनिवार्यता से स्थानीय लोगों को नियोजन में सुगमता का कोई औचित्य नहीं है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार प्रखण्ड स्तर पर नियोजन कार्यालय खोलने एवं निबंधन को अनिवार्य करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर नियोजन कार्यालय खोलने एवं निबंधन को अनिवार्य करने का कोई औचित्य नहीं है।

25/08/15

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :-5/स्था0(नि0)वि0स0-6026/15- 816 (ना) राँची, दिनांक :- 25.08.2015

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या 2406, दिनांक 22.08.15 के प्रसंग में 200 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/08/15

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
झारखंड, राँची।

Name of Employment Exchanges:-

Sl. No.	Name of Employment Exchange
1	2
1	Sub-Regional Employment Exchange, Ranchi
2	Special Employment Exchange for P.H, Ranchi
3	Special Employment Exchange for Women, Ranchi
4	State Employment Exchange, Professional and Executive Employment Exchange
5	District Employment Exchange, Lohardaga
6	District Employment Exchange, Gumla
7	District Employment Exchange, Simdega
8	Employment Exchange, Khunti
9	Employment Exchange, Torpa
10	District Employment Exchange, Daltonganj
11	District Employment Exchange, Latehar
12	District Employment Exchange, Garhwa
13	Un. Emp. Inform and guidance Bureau Centre, Ranchi
14	Special Employment Exchange for P.H, Jamshedpur
15	Sub-Regional Employment Exchange, Jamshedpur
16	District Employment Exchange, Saraikela-Kharsawan
17	Employment Exchange, Chandil
18	Employment Exchange, Adityappur
19	Employment Exchange, Ghatshila
20	Employment Exchange, Kiriburu
21	District Employment Exchange, Chaibasa
22	Employment Exchange, Chakradharpur.
23	Sub-Regional Employment Exchange, Bokaro steel city.
24	Special Employment Exchange for P.H, Bokaro steel city.
25	Employment Exchange, Bokaro Thermal Power Station
26	Employment Exchange, Tenughat
27	Sub-Regional Employment Exchange, Dhanbad
28	Employment Exchange, Sindri
29	Employment Exchange, Kumardhubi
30	Sub-Regional Employment Exchange, Hazaribagh
31	District Employment Exchange, Giridih
32	Employment Exchange, Ramgarh
33	District Employment Exchange, Kodarma
34	District Employment Exchange, Chatra
35	Sub-Regional Employment Exchange, Dumka
36	Special Employment Exchange for S.C/S.T, Dumka
37	Un. Emp. Inform and guidance Bureau Centre, Dumka
38	District Employment Exchange, Deoghar
39	District Employment Exchange, Godda
40	Employment Exchange, Lalmatia
41	District Employment Exchange, Sahebganj
42	District Employment Exchange, Pakur
43	District Employment Exchange, Jamtara

खंड राज्य के नियोजनालयों द्वारा किये गये निबंधन वर्ष 2000 से दिसम्बर 2014 तक :-

वर्ष वाग वर्ष जनवरी से दिसम्बर)	निबंधन		
	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4
2000	37719	7787	45506
2001	177780	30337	208117
2002	77835	12492	90327
2003	341477	77343	418820
2004	163314	19795	183109
2005	139399	12527	151926
2006	142060	14185	156245
2007	68733	11120	79853
2008	76615	9460	86075
2009	88491	18007	106498
2010	274631	53860	328491
2011	82735	17876	100611
2012	59585	10898	70483
2013	74835	12799	87634
2014	53220	11518	64738

वित्तीय वर्ष 2009-10 से अबतक आयोजित रोजगार मेला एवं भर्त्ती कैम्प की कुल संख्या आवेदकों की संख्या

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	रोजगार मेला	भर्त्ती कैम्प
		रोजगार मेला की संख्या	भर्त्ती कैम्प की संख्या
1	2	3	4
1.	2009-10	08	-
2.	2010-11	11	04
3.	2011-12	25	27
4.	2012-13	24	27
5.	2013-14	18	39
6.	2014-15	13	32
	योग (A)	**99**	**129**
7.	2015-16	01	13
	योग (B)	-	**13**
	कुल योग (A+B)	**100**	**142**

225

श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–08 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागाँव एवं केरेडारी एवं रामगढ़ जिला के पतरातू में जमीन का रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। किसान रैयत हर काम छोड़ कर सिर्फ ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। अंचल अधिकारी सिर्फ कंपनियों से अवैध लाभ लेकर कार्य कर रहे हैं। गरीब किसान का काम नहीं हो रहा है,		अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार हजारीबाग जिला के बड़कागाँव एवं केरेडारी अंचल में पर्याप्त मात्रा में लगान रसीद उपलब्ध है एवं रैयतों को लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है। किसी भी रैयत द्वारा रसीद नहीं निर्गत करने की शिकायत नहीं की गयी है। साथ ही उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार रामगढ़ जिला के पतरातू अंचलान्तर्गत रैयतों को जमीन का लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अंचलाधिकारी को रैयत की जमीन का रसीद काटने का निदेश देना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?		यथा उत्तर उपर्युक्त खण्ड–1

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–6/वि.स. तारां.–25/2015 4129/रा., राँची, दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं.–2410/वि.स., दिनांक–22.08.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, एवं विभागीय प्रशाखा–10(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15

सरकार के उप सचिव

श्री विदेश सिंह, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स0– 06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत तरहसी प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र भवन अत्यन्त जर्जर अवस्था में है;		आंशिक स्वीकारात्मक । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरहसी का आई0पी0डी0 एवं प्रसुति कक्ष को छोड़कर ओ0पी0डी0 कक्ष अच्छी अवस्था में है ।
2. क्या यह बात सही है कि भवन जर्जर रहने के कारण चिकित्सा हेतु ससमय ग्रामीण मरीजों के उपचार में कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है एवं मरीजों को भी डर की आशंका बनी रहती है;		आंशिक स्वीकारात्मक है । केन्द्र का एक भाग जिसकी स्थिति अच्छी है, इसमें लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
3. क्या यह बात सही है कि चिकित्सक कर्मचारियों के आवासीय परिसर नहीं होने के कारण काफी कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है;		आंशिक स्वीकारात्मक है । चिकित्सकों के लिए परिसर में आवासीय भवन उपलब्ध है ।
4. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारत्मक है, तो सरकार कब तक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हों तो कब तक, नहीं तो क्यों?		भूमि एवं बजट में राशि की उपलब्धता के आधार पर भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरुप अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 83 / 15– 713(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2420 / वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के उप सचिव ।

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.15 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–11 का प्रश्नोत्तर।

223

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे की :–	
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर एवं सरिया अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण अंचलाधिकारी का पद रिक्त है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित अंचल कार्यालयों में जनहित के आवश्यक कार्य अंचलाधिकारी बिरनी द्वारा संचालित किया जा रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। अंचल अधिकारी बिरनी द्वारा बगोदर अंचल का एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सरिया अंचल का कार्य संचालित किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि बगोदर, सरिया अंचल कार्यालय का कार्य अंचलाधिकारी बिरनी द्वारा किये जाने के कारण बगोदर, सरिया एवं बिरनी अंचल कार्यालयों में ग्रामीणों का कार्य ससमय नहीं हो पा रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। जनहित में बगोदर अंचल का कार्य बिरनी अंचल अधिकारी द्वारा एवं सरिया अंचल का कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी सरिया द्वारा किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बगोदर एवं सरिया अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों को अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित करने हेतु विभागीय पत्रांक–521, दिनांक–19.02.15 के द्वारा 74 पदाधिकारियों एवं वर्तमान में कतिपय पदाधिकारियों के प्रोन्नत होने के फलस्वरूप पुनः विभागीय पत्रांक–3960, दिनांक–19.08.15 के द्वारा 97 मूल कोटि के पदाधिकारियों की माँग की गयी है। विभाग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त होते ही यथाशीघ्र रिक्त अंचलों में पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में राजस्व विभागीय पत्रांक–4086/रा0, दिनांक–25.08.15 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्थायी आदेश संख्या–6984, दिनांक–04.08.15 के आलोक में झारखण्ड राज्य अंतर्गत वैसे प्रखण्ड जहाँ अंचल अधिकारी का पद रिक्त है एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित है वैसे स्थान में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके कार्यों के अतिरिक्त अंचल अधिकारी की शक्ति प्रदान कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–2/रा0 स्था0 (तारां0)–52/15 4125/रा0 दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2416 वि0स0, दिनांक–22.08.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15
सरकार के अवर सचिव

(928)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र में दिनांक 28.08.2015 को श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –श्रनि–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड में पॉलटेकनिक कॉलेज नहीं है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में तकनीकी कॉलेज नहीं होने के कारण आस–पास के विद्यार्थियों को पठन–पाठन में काफी दिक्कत होती है;	2.	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विष्णुगढ़ प्रखण्ड में तकनीकी (पॉलटेकनिक) खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नही तो क्यों ?	3.	राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से सर्वप्रथम झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला को एक पोलिटेकनिक कॉलेज से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। हजारीबाग जिला के अंचल हजारीबाग के मौजा सिलवारखुर्द एवं केसुरा में राजकीय पोलिटेकनिक का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2.त0शि0/वि0स0– 46/15 2145 / राँची, दिनांक– 26.08.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2405 दिनांक 22.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

229

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स0– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के नावाडीह प्रखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य 2005 में प्रारंभ हुआ था, आज तक अधूरा है;		आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नावाडीह प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विभागीय पत्रांक– 29(5)ब दिनांक 31.05.08 द्वारा कुल 3,53,59,200/– रुपए की लागत पर स्वीकृत है । उक्त केन्द्र का निर्माण उपायुक्त, बोकारो द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी जिला परिषद द्वारा कराया जा रहा है । निर्माण कार्य अधूरा है ।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार उक्त कार्य को पूरा करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उक्त भवन के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु विभागीय पत्रांक– 554(6) दिनांक 29.07.15 द्वारा तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होने पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी । ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 75/15– 710(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27·8·15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2232/वि0स0, दिनांक– 18.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।

(230)

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स0– 12 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिलान्तर्गत चाण्डिल को अनुमण्डल बने करीब 12 वर्ष हो गये है लेकिन अभी तक चाण्डिल अनुमण्डल मे अनुमण्डल स्तरीय अस्पताल की स्थापना नहीं हुई है;		अस्वीकारात्मक है । विभागीय पत्रांक– 159(3) दिनांक 25.11.06 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाण्डिल को उत्क्रमित कर अनुमण्डलीय अस्पताल का दर्जा दिया जा चुका है। पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 143(5)ब दिनांक 19.09.08 द्वारा इस अनुमण्डलीय अस्पताल भवन के निर्माण की स्वीकृति 4,07,77,000/– रुपए की लागत पर दी गई है । उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा मनोनीत कार्य एजेन्सी ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सरायकेला द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य अधूरा है । इसे पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है । प्राक्कलन की जाँच एवं समीक्षा करते हुए शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति कर कार्य पूर्ण कराया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त खण्ड मे वर्णित स्थल पर अस्पताल के आभाव में बेहतर ईलाज के लिए चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र के लोगो को 100 कि0मी0 से अधिक दूरी तय कर राँची या जमशेदपुर जाना पडता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है;		अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि चाण्डिल के पुराने भवन में ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । विषम परिस्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेन्स की भी सुविधा उपलब्ध है । अस्पताल में प्रसव की सुविधा 24X7 के तहत प्रतिदिन 24 घण्टे उपलब्ध है । वर्तमान में 3 चिकित्सा पदाधिकारी इस अस्पताल में पदस्थापित हैं एवं दो अन्य चिकित्सा पदाधिकारी को पदस्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थल पर अनुमण्डल स्तरीय अस्पताल स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 86/15– 717(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2426/वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(231)

श्री दुलू महतो, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 28-08-15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –स –07

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दुलू महतो मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के महेशपुर, श्यामडीह स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लगभग दो– तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे प्रारंभ नहीं किया गया है और लोगों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु भी प्रखण्ड एवं जिला मुख्यालय स्थित अस्पतालों में जाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक । क) बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के महेशपुर स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण अधूरा है तथा इसे हस्तनान्तरित नहीं किया गया है। वर्तमान में स्वा0 उपकेन्द्र महेशपुर ग्राम में भाड़े के मकान में चल रहा है जहाँ आसपास के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। ख) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कतरास (श्यामडीह) अपने भवन में पूर्व से ही चल रहा है तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 15/ वि0स0–08-79/15– 350(15) दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2421, दिनांक– 22-08-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15
सरकार के उप सचिव ।

Tiwari

232

श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.15 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे की :–		
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत महागामा प्रखंड में राजमहल परियोजना (ई0सी0एल0) के द्वारा अपने आवासीय परिसर के नाम पर बसुआ मौजा के दाग नं0–32/156 किस्म–सार्वजनिक सड़क, बसुआ मौजा के दाग नं0–28 किस्म–आम पोखर (बसुआ पोखर), गुदिया मौजा के दाग नं0–14 एवं 16 किस्म पहाड़, गुदिया मौजा के दाग नं0–13 किस्म गोचर को भी अपने चहारदीवारी के अन्दर करके अतिक्रमण कर लिया है।		आंशिक स्वीकारात्मक। अंचलाधिकारी महागामा के पत्रांक–451/रा0, दिनांक–21.08.2015 द्वारा प्रतिवेदित है कि मौजा बसुआ के दाग नं0–32/156 किस्म परती कदीम, मौजा–बसुआ के दाग सं0–28 किस्म बांध तथा मौजा गुदिया के दाग नं0–14 एवं 16 किस्म पहाड़ और दाग नं0–13 किस्म गोचर खतियान में दर्ज है। भूमि हस्तांतरण हेतु ई0सी0एल0 परियोजना के पत्रांक–2537, दिनांक–24.02.1992 द्वारा राशि जमा की गई है। उक्त के आलोक में ई0सी0एल0 का पक्ष जानने हेतु राजस्व शाखा के पत्रांक–997/रा0, दिनांक–24.08.2015 द्वारा ई0सी0एल0 से प्रतिवेदन की माँग की गई है। मामला अविभाजित बिहार के समय से ही संबंधित है, जिसमें गहन पड़ताल की आवश्यकता है।
3	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राजमहल परियोजना (ई0सी0एल0) के द्वारा अतिक्रमण किये गये उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए परियोजना द्वारा आवासीय परिसर हेतु वैद्य अधिकृत जमीन का सीमांकन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?		मामला अविभाजित बिहार के समय का है। अतः ई0सी0एल0 से समुचित तथ्य जानकर ही अतिक्रमण हटाने की विधिवत कार्रवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–5/स0भू0 गोड्डा (तारां0)–94/15 4111 /रा0 दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2219 वि0स0, दिनांक–18.08.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं वित्तीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15

सरकार के अवर सचिव

(233)

श्रीमती जोबा मॉझी, माननीया स० वि० स० द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र०सं० स०– 02 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत बन्दगॉव प्रखण्ड स्वास्थ्य केन्द्र से पोडेंगेट 25 कि०मी० है;		प० सिंहभूम जिलान्तर्गत बंदगॉव प्रखण्ड स्वास्थ्य केन्द्र से पोडांगेर लगभग 30 कि०मी० है।
2. क्या यह बात सही है कि पोडेंगेट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने की वजह से आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही है;		पोडांगेर मे स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये के मकान में संचालित है, जिसमे उस क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है एवं गर्भवती महिलाओं का प्रसव भी कराया जाता है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र में तीन ए०एन०एम० पदस्थापित है।
3. क्या यह बात सही है कि जनहित में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण अति आवश्यक है;		स्वीकारात्मक है ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पोडेंगेट में स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		भूमि की उपलब्धता एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत पोडांगेर में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी०वि०स० (तारा०)– 74/15– 705(6) स्वा०, रॉंची, दिनांक: 26·8·15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2231/वि०स०, दिनांक– 18.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.15

सरकार के उप सचिव ।

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– रा0–09 का प्रश्नोत्तर

234

प्रश्न	उत्तर
क्या माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के अंतर्गत मधुपुर के भेड़वा, मदिना, लखना, पटवाबाद, बड़वाद, खलासी मुहल्ला और बाबनबीघा, मौजा में अवैध रूप से प्रतिदिन जमाबंदी एवं कृषि जमीन पर अवैध रूप से मकान का निर्माण किया जा रहा है, जबकि संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के तहत जमाबंदी जमीन का अदान–प्रदान और शपथ पत्र के द्वारा लेकर गृह निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस कास्तकारी अधिनियम का खुलम–खुला उलंघन हो रहा है।	अस्वीकारात्मक।
2. यह उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस अधिनियम को तोड़ने वालों (जमीन लेने व देने वाले) के उपर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	देवघर जिला के मधुपूर एवं करौं अंचल के अंचलाधिकारियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं उपायुक्त, देवघर के प्रतिवेदनानुसार वर्णित मौजों में अवैध रूप से प्रतिदिन जमाबंदी एवं कृषि जमीन पर अवैध रूप से आदान–प्रदान एवं गृह निर्माण संबंधित मामला अबतक प्रकाश में नहीं आया है। ऐसे मामले के प्रकाश में आने पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम को तोड़ने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–6 / वि.स. (तारां)–26 / 15 4123 / रा., दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2411 / वि.स., दिनांक–22.08.15 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/15

सरकार के उप सचिव।

Vidhan sabha (lalit)

(225)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.15 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–02 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे की :–		
1	क्या यह बात सही है कि कई वर्षों से जामताड़ा जिलान्तर्गत कुंडहित एवं फतेहपुर प्रखंड सचिवालय में अंचलाधिकारी का पदस्थापन नहीं हो पाया है जिससे ग्रामीण को अंचल से संबंधित कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है।		उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राजस्व विभागीय पत्रांक–4086/रा0, दिनांक–25.08.15 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्थायी आदेश संख्या–6984, दिनांक–04.08.15 के आलोक में झारखण्ड राज्य अंतर्गत वैसे प्रखण्ड जहाँ अंचल अधिकारी का पद रिक्त है एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित है वैसे स्थान में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके कार्यों के अतिरिक्त अंचल अधिकारी की शक्ति प्रदान कर दी गयी है।
2	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थिति को देखते हुए वर्णित प्रखण्डों में अंचलाधिकारी का पदस्थापन कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों को अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित करने हेतु विभागीय पत्रांक–521, दिनांक–19.02.15 के द्वारा 74 पदाधिकारियों एवं वर्तमान में कतिपय पदाधिकारियों के प्रोन्नत होने के फलस्वरूप पुनः विभागीय पत्रांक–3960, दिनांक–19.08.15 के द्वारा 97 मूल कोटि के पदाधिकारियों की माँग की गयी है। विभाग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त होते ही यथाशीघ्र रिक्त अंचलों में पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–2/रा0 स्था0 वि0स0 (तारां0)–49/15 4118 /रा0 दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2215 वि0स0, दिनांक–18.08.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/आप्त सचिव, माननीय विभागीय मंत्री एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15

सरकार के अवर सचिव

(236)

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिले के चाण्डिल प्रखण्ड अन्तर्गत चौका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर तो पदस्थापित हैं पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन नहीं है एवं चाण्डिल प्रखण्ड के अन्तर्गत ही चावलीवासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तो है पर एक भी डॉक्टर पदस्थापित नहीं है जिससे आसपास के लोगों को ईलाज में काफी परशानी होती है;		आंशिक स्वीकारात्मक है । चौका में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, जो आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन में संचालित है । इसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी एवं दो ए0एन0एम0 कार्यरत है । इसके माध्यम से लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । चावलीवासा में भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है । इसमें सम्प्रति दो ए0एन0एम0 एवं एक फार्मासिस्ट कार्यरत हैं । यहाँ ओ0पी0डी0 के लिए चिकित्सक की सेवा चौका में पदस्थापित चिकित्सक से ली जा रही है। चावलीवासा में प्रतिदिन चौबीस घंटे नियमित रुप से प्रसव की सुविधा उपलब्ध है ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चौका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण एवं चावलीवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरुप चौका में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में कराया जा सकेगा । चावलीवासा में रिक्त पद पर जे0पी0एस0सी0 द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित चिकित्सकों में से सितम्बर 2015 तक पदस्थापन किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 87 / 15– 716 (6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2416 / वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

237

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि जिला चतरा के सदर अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य अधुरा है;		स्वीकारात्मक । सदर अस्पताल, चतरा के योजना से संबंधित प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त विभाग को प्राप्त हो गया है जिस पर स्वीकृति कि कार्रवाई प्रकियाधीन है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कार्य को पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि जिला के 7 प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्र का भवन अर्धनिर्मित है;		स्वीकारात्मक । इन प्रखण्डों में अर्द्धनिर्मित भवन को पूर्ण कराने हेतु विभागीय पत्रांक– 554(6) दि0 29.7.15 के द्वारा योजनाओं की लागत राशि मे वृद्धि/पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित मामलो मे लोक निर्माण विभाग संहिता मे विहित रीति से प्रस्ताव के साथ प्रपत्र मे (चेक लिस्ट) के द्वारा प्रतिवेदन कि मांग किया गया है प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार अर्धनिर्मित भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हों, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		कंडिका 2 मे स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 78/15– 709(6) स्वा0, राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2230/वि0स0, दिनांक– 18.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के उप सचिव ।

1235 25-8-15 238

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-श्र0नि0-02 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पोंडैयाहाट विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड - पोंडैयाहाट (जिला-गोड्डा) एवं प्रखंड - सरैयाहाट (जिला-दुमका) में तीन आई0टी0आई0 भवन बनकर तैयार है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। पोंडैयाहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मात्र दो आई0टी0आई पोंडैयाहाट (जिला-गोड्डा) एवं सरैयाहाट (जिला-दुमका) का निर्माण किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त आई0टी0आई0 में पठन-पाठन शुरू नहीं होने से उस क्षेत्र के सैकड़ो नौजवानों को तकनीकी शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब उपरोक्त भवनों में सारी सुविधाएँ बहाल कर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	13वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में पोंडैयाहाट विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड - पोंडैयाहाट (जिला- गोड्डा) एवं प्रखंड - सरैयाहाट (जिला-दुमका) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को CSR के अन्तर्गत Reputed Industrial Houses के माध्यम से संचालन के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में नवनिर्मित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पी0पी0पी0 मोड में किये जाने के निर्णय के अनुसार संशोधित "इच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से निविदा का प्रकाशन करते हुए प्रतिष्ठित कम्पनी / एन0जी0ओ0 / संस्था को संस्थान के संचालन हेतु उपलब्ध कराने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

25/08/15

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-43/2015- 1235 राँची, दिनांक - 25-08-15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-2223 दिनांक-18.08.2015 के प्रसंग में 200 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/08/15

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(239)

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 11 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत खोरीमहुआ को अनुमण्डल बनने से यहाँ आवागमन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है;		स्वीकारात्मक है ।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार खोरीमहुआ में अनुमंडल स्तर का अस्पताल बनाने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		भूमि एवं बजट में राशि की उपलब्धता के आधार पर खोरीमहुआ में अस्पताल की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 85 / 15– 718 (*) स्वा0, राँची, दिनांक: 27.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2425 / वि0स0, दिनांक– 22.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(240)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न सं0– रा0–04 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में टाउन लीज कई वर्षों से लंबित है तथा सरकार के द्वारा रेट निर्धारण नहीं होने के कारण लोगों में संसय की स्थिति बनी हुई है,		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। टाउन लीज (खास महाल) लीज का रेन्ट निर्धारित है। लीज नवीकरण की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में टाउन लीज का नवीकरण का कार्य नहीं होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है,		अस्वीकारात्मक। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो जायेगी।
3. क्या यह बात सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कई बार पलामू जिला में लीज नवीकरण के समाधान हेतु आश्वासन भी दिये जाते रहे हैं, परन्तु आज तक लीज नवीकरण नहीं हो पाया है,		स्वीकारात्मक। पलामू जिलान्तर्गत खासमहाल मेदिनीनगर के कुल लीजधारियों की संख्या–1622 है। 1541 लीजधारक Tresspasser हैं। ऐसे लीजधारियों के द्वारा न ही समय पर आवेदन दिया गया है और न ही लगान का भुगतान किया गया है। कुल 75 लीजधारियों द्वारा लीज शर्त का उल्लंघन किये बिना ससमय आवेदन दिया गया है। उनके लीज नवीकरण की प्रक्रिया जारी है।
4. यह उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त जिला में टाउन लीज नवीकरण करने हेतु विचार रखती है, हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?		स्वीकारात्मक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0–453, दिनांक–14.02.15 द्वारा खास महाल लीज नवीकरण की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान की गई है। वैसे लीजधारी जो लीज के सभी शर्तों को पूरा करते हैं, उनका लीज नवीकरण तीन माह के अंदर पूरा कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–7 / खा.म. वि.स. (तारां)–336 / 15 4114 / रा., दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2218 / वि.स., दिनांक–18.08.15 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/15

सरकार के उप सचिव।

Vidhan sabha (lalit)

241

श्री गीता कोड़ा, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 28-08-15 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –स –19

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री गीता कोड़ा, मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिला में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जगन्नाथपुर प्रखण्ड मुख्यालय तथा नोवामुण्डी प्रखण्ड के ग्राम कावरागुटु में 30 बेड वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का ऑन लाईन उद्घाटन एक वर्ष पूर्व हो चुका है ;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि डॉक्टर, नर्स, कम्पाउंडर एवं तकनिशियन, दवा तथा उपकरण के अभाव में डेढ़ वर्षों से बन्द है जिससे क्षेत्र के जनता को स्वास्थ्य सुविधा मिलने में कठिनाई हो रही है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। उपलब्ध निम्नांकित मानव संसाधन से कार्य लिया जा रहा है– i) चिकित्सक – 02 ii) ए0एन0एम– 11 iii) फर्मासिस्ट– 04 iv) लैब टेक्निशियन– 01 v) स्कूल कार्यक्रम हेतु– 01 (चिकित्सक)
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालु कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यों ?		नवनिर्मित जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शिफ्ट कर ओ0पी0डी0 प्रारम्भ कर दिया गया है तथा नोवामुण्डी नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 15 दिनों के अन्दर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 15 / वि0स0–06- 78 / 15– 345 (15) दिनांक:– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2450, दिनांक– 23-08-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र प्रसाद सिंह 27.8.15
सरकार के अवर सचिव ।

(242) 1234 25-8-15

श्रीमति गीता कोडा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-28.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-श्र0नि0-07 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्रीमति गीता कोडा, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रखंड जगन्नाथपुर में शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आई0टी0आई0 भवन का निर्माण स्वीकृत किया था;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य एक वर्ष पहले हो चुका है परन्तु अभी तक आई0टी0आई0 में तकनीकी पढ़ाई चालु नहीं किया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आई0टी0आई0 में तकनीकी पढ़ाई चालु करवना चाहती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जगन्नाथपुर के संचालन के लिए CSR के अन्तर्गत टाटा स्टील की सहमति प्राप्त हुई है जो प्रक्रियाधीन है।

25/08/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-47/2015-1234 राँची, दिनांक :- 25-08-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-2449 दिनांक-23.08.2015 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/08/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।